फा. सं. ओ-12011/02/2019-सी.डब्ल्यू.एफ.
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

*****

विषय:- वर्ष 2019 के दौरान उपभोक्ता कल्याण कोष के अंतर्गत वित्तीय सेवा अपेक्षित प्रस्तावों परियोजनाओं के लिए रुचि प्रकटन (ई.ओ.आई.) के लिए नियंत्रण को मंगाना।

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार उपभोक्ताओं के कल्याण को सुरक्षा एवं उन्नति मांगनेवाले एवं देश में उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने वाले परियोजनाओं एवं क्रियाकलापों के वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपभोक्ता कल्याण कोष (सी.डब्ल्यू.एफ.) की व्यवस्था करते हैं।

2. दिनांक 26.08.2019 से 25.09.2019 तक ऑनलाइन प्रपत्र में निर्धारित क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लक्ष्य से क्रियाकलापों के साथ योग्य आवेदकों से परियोजना के लिए रुचि प्रकटन ऑनलाइन आमंत्रित किया था। अब इसे 10.10.2019 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

3. सिर्फ केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2018 में निर्धारित ‘आवेदक की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले और उक्त नियम एवं सी.डब्ल्यू.एफ. मार्गनिर्देश, 2019 वेबसाइट: http://jagograhakjago.gov.in/cwf) के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उन आवेदकों पर ही विचार किया जाएगा। आगे, निधियों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों/गैर सरकारी/निजी संस्थाओं को एन.जी.ओ. दर्पण पोर्टल (http://ngodarpan.gov.in) वैद्य पंजीकरण होना अनिवार्य है। परियोजना प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। समय वर्जित एवं अपूर्ण प्रस्तावों को तत्काल हिस्सा लिया जाएगा। इस रूचि प्रकटन के अंतर्गत प्रत्येक आवेदक दो प्रस्ताव तक प्रस्तुत कर सकते हैं। वास्तविक रूप में विभाग को भेजे गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(जयश्री कन्नन)
अवर सचिव (सी.डब्ल्यू.एफ.)